

तारीख हुक्म

Court F.R. 11/2026

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी
एफ आई आर संख्या 495/2017
तेजमल बनाम अज्ञात
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

दिनांक 13.01.2026

अभियोजन अधिकारी ने थाना सदर बून्दी की एफआईआर सं. 495/2017 धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, में अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिमान में पेश की है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी तेजमल आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही है।

इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी की तहरीर पर थाना सदर बून्दी में एफ.आई.आर. सं. 495/2017, धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिमान में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अन्तिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण अनुसंधान किया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। केस डायरी पी.ओ. को लौटावे।

पत्रावली फैसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को पेश हो।

आतोरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राज०)

14/03/26

यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसल आदेश हेतु रखा गई। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फाइनल शुमार होकर बाद तकनीकी दाखिल अभिलेखावली

दो

सकल

राज्य लोक अदालत बेंच नं०.....

मैं अदमपता
ने जो काफिले
स्वीकार किया है
तेजमल
जिसने
स्वीकार
किया है